## फर्द अहकाम

(नियम–26)

# अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**किशनलाल पिता पृथ्वीराज जाट निवासी भंवरकिया, तहसील कपासन वगैरा**

**बनाम**

**रामेश्वर लाल पिता प्रभूलाल माली निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन वगैरा**

**प्रकरण संख्या 179/2022 (नि.पं.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.07.24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 का सूचना पत्र पूर्व पेशी दिनांक 07.06.2024 को बाद तामील प्राप्त हो चुका है विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। अधिवक्ता उभय पक्ष ने संयुक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निगराकारगण एवं गैर निगराकार के मध्य आपसी राजीनामा दिनांक 06.12.2022 को हो चुका है तथा विवादित पट्टा संख्या 46 के भूखण्ड पर गैर निगराकार का कब्जा व आधिपत्य नहीं रहा है इस कारण आपसी सहमति से उपरोक्त भूखण्ड के संबंध में पट्टा संख्या 46 निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि उभय पक्ष के मध्य विवादित भूखण्ड के पट्टा संख्या 46 के संबंध में आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा गैर निगराकार ने भी विवादित पट्टे वाले भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा व आधिपत्य होना स्वीकार किया है तथा विवादित पट्टा खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 06.11.2015 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ अधीनस्थ ग्राम पंचायत, सिंहपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |